फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सोहनदास बनाम विपक्षी : श्री देवीदास व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 41/22

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 14.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया कि इस प्रकरण के प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की ही एक अन्य पत्रावली प्रकरण संख्या 30/22 अनवान श्री सोहनदास बनाम श्री उंकारदास में आदेशिका दिनांक 11.07.2024 में न्यायालय हाजा द्वारा उभय पक्षकारान को मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी है जिससे इस प्रकरण को भी उसी अनुसार निर्णित किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त कथन के संबंध में कोई आपत्ति जाहीर नहीं की। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 10.07.2025 को प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेज से पाया कि न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 11.07.2024 से प्रकरण संख्या 30/22 अनवान श्री सोहनदास बनाम श्री उंकारदास में मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या नया 375 की आराजी न. 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 223/1 किता 9 रकबा 10 बिघा 3 बिस्वा भूमि में उभय पक्षकारान को मुल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखने आदेश दिये गये। उक्त आराजी न. व इस पत्रावली के प्रार्थनाग्रस्त आराजी न. समान है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में पूर्व से ही मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी है जिससे इस पत्रावली को भी पूर्व आदेश अनुसार निर्णित किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व आदेशिका दिनांक 11.07.2024 प्रकरण संख्या 30/22 अनवान श्री सोहनदास बनाम श्री उंकारदास अनुसार स्वीकार किया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव भू–अभिलेख निरीक्षक बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2050–53 की खाता संख्या नया 375 की आराजी नम्बर 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 223/1 किता 9 रकबा 10 बिघा 3 बिस्वा भूमि में भू प्रबंधन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested